झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वनभूमि–17/2020– 3313 व०प०, राँची, दिनांक– 22/10/2020

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषयः– **सोनुवा–पनसुवा–लाढ़ाई–गुदड़ी पथ के कि0मी0 0.00 से 41.56 कि0मी0 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 18.37 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– आपके कार्यालय का पत्रांक–844 दिनांक–12.10.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन/अभिलेख/मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय :–

1. प्रस्तावित पथ की पूर्ण लम्बाई का राजस्व पदाधिकारी द्वारा Authenticated land schedule.
2. जंगल–झाड़ी भूमि के संबंध में उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के ज्ञापांक–1105(B)/रा0 दिनांक–11.09.2020 द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में प्रस्तावित वनभूमि के रकबा में संशोधन करते हुए प्रस्ताव के पार्ट–I, II, III एवं IV की प्रति।
3. CWLW, झारखण्ड का मंतव्य।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार) 22/10/2020
विशेष कार्य पदाधिकारी

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः 915 दिनांकः 28.10.20

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची /क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट/कार्यपालक अंभियंता RCD रोड प्रमंडल मनोहरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा मांगा गया वांछित प्रतिवेदन कृपया इस कार्यालय में अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

28/10

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

28.10.20

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची
11 SEP 2020

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का कार्यालय।

(राजस्व शाखा)

(अनापत्ति प्रमाण पत्र)

कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर के पत्रांक– 686 दिनांक 31.08 2020 के द्वारा सानुआ–पनसुवाँ–लोढाई–गुदडी पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 41.56 तक के चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण /पुनर्निर्माण कार्य के लिए सानुआ एवं गुदड़ी अंचलान्तर्गत कुल 2.16 हेक्टर गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि के अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के लिए अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी गुदडी के पत्रांक–71 दिनांक 04.09.2020 एवं अंचल अधिकारी सानुआ के पत्रांक–290 दिनांक– 04.09.2020 के द्वारा समर्पित भूमि सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त है। भूमि सत्यापन संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार गुदड़ी अंचलान्तर्गत प्लॉट न० 468 /अंश किस्म जमीन डुगरी है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक–864 दिनांक–11.09.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है।

अतः उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक– 1817 / रा० दिनांक–30.04.2015 के आलोक में सानुआ–पनसुवाँ–लोढाई–गुदडी पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 41.56 तक के चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य हेतु किस्म जमीन डुंगरी को छोडकर निम्नांकित गैरमजरूआ भूमि Deemed forest (जंगल–झाडी) का सैद्धान्तिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है –

क्र०	जिला	अंचल	मौजा	थाना नं०	प्लॉट न०	रकवा (हे० में)	किस्म जमीन
1		2	3	4	5	6	7
1		सानुआ	पनसुवाँ	542	625	0.23	जंगल–डुंगरी
					638	0.28	जंगल–झाड़ी
					कुल रकवा	0.51 हे०	
2	पश्चिमी सिंहभूम	गुदड़ी	कुल्टिपी	179	56	0.03	जंगल–झाड़ी
			सदया	180	1111	0.01	जंगल–झाड़ी
			लोढाई	181	214	0.13	जंगल–झाड़ी
					218	0.02	जंगल–झाड़ी
					236	0.09	जंगल–झाड़ी
					241	0.39	जंगल–झाड़ी
					819	0.02	जंगल–झाड़ी
					824	0.02	जंगल–झाड़ी
					678	0.03	जंगल–झाड़ी
			गात	182	800	0.01	जंगल–झाड़ी
					1	0.33	जंगल–झाड़ी
					684	0.02	जंगल–झाड़ी
					686	0.01	जंगल–झाड़ी
					688	0.01	जंगल–झाड़ी
					964	0.45	जंगल–झाड़ी
					कुल रकवा	1.57 हे०	
					समेकित कुल रकवा	2.08 हे०	

उपर्युक्त विवरणी के अनुसार सन्निहित भूमि गैर मजरूआ Deemed forest भूमि (जंगल- झाडी) है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

अनुमोदित
16/9/2020
2563
18/09/2020

प्रधान सचिव कोषांग
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं० 2972
15 SEP 2020
झारखण्ड, राँची

(2)

पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर लिया जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायगा। गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी (Deemed forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण हेतु स्वीकृत्यादेश/राज्यादेश निर्गत किया जायगा।

गैर मजरूआ Deemed forest भूमि (जंगल–झाड़ी) के लिए निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र के बाद प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि की अनुमति तबतक नहीं दी जायगी जबतक उसके विधिवत हस्तांतरण हेतु स्वीकृत्यादेश/राज्यादेश निर्गत नहीं किया जायगा।

ह०/–

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

ज्ञापांक– 1105(B)/रा० दिनांक– 11-09-2020

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल मनोहरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अंचल अधिकारी, सोनुआ/गुदड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अनुमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट–चक्रधरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।